न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 100 सन 2019

अनवान :–

1. कृष्णलाल पुत्र मनफुल जाति ढाडी निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

1. मनफुल पुत्र भूरा जाति ढाडी निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मनरीम सरावग सायल
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गैरसायल 1

निर्णय दिनांक :– 18/3/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि सायल एव गैरसायल की पैतृक सम्पति रोही मौजा बाच्छुसर के खसरा न0 165/1 की 0.4550 ,165/2 की 4.3890हैक कुल 4.4840हैक भूमि जिसमें मनफुल के नाम से 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि सायल के दादा भूरा की मृत्यू के बाद कर्ता खानदार होने के कारण सायल के पिता मनफुल के नाम से दर्ज हुई है जबकि मनफुल के साथ सायल व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 प्रत्येक 1/5 –1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा के जन्म से अधिकारी है जिसकी धोषणा करवाकर मनफुल के साथ दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

मनफुल का लडका पप्पु फोत हो चुका है इसकी पहली पत्नी से एक लडका नसीब है तथा दुसरी पत्नी से प्रतिवादी संख्या 3 ,4 है जो नाबालिग है पप्पु की दुसरी पत्नी पप्पु के मरने के बाद दूसरी जगह चली गई है इनके दो बच्चे नाबालिग है जो नाना के पास रहते है इसलिये इनके संरक्षक नाना है वही इनकी देखभाल करते है।

मनफुल समस्त भूमि अकेले के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए समस्त भूमि फरोख्त करने पर उतारू है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायल गैरसायल का पाबन्द करवाने का अधिकारी है

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रोही मौजा बाच्छुसर के खसरा न0 165/1 की 0.4550हैक 165/2 की 4.3890हैक कुल 44840हैक भूमि मे से मनफुल के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि को ताफैसला दावा रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से अन्तरित नही करे

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की

वाद भूमि पैतृक सम्पति नही है इसलिये गैरसायलान का कोई हक हिस्सा नही है गैरसायल न0 3 ,4 पप्पु की दुसरी पत्नि की सन्तान है तथा पप्पु के मरने के बाद दुसरी जगह चली गई है स्वीकार है रोही मौजा बाच्छुसर के खसरा न0 165/1 की 0.4550हैक 165/2 की 4.3890हैक कुल 44840हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा गैरसायल न0 1 की अकेले की खातेदारी भूमि है चुकि पक्षकरान व गैरसायल न0 1 मुस्लिम धर्म के है तथा मुस्लिम रीति रिवाज को मानते है मुस्लिम सम्प्रदाय से सम्बध रखते है इसलिये मुस्लिम धर्म में दादालाई भूमि में पोतों व पोतियों का कोई हक हिस्सा नही है मोहम्मडन लॉ में स्पष्ट प्रोविजन है कि मुस्लिम लॉ में पिता के जीवनकाल में पुत्र–पुत्रियों का व पोते पोतियों को कोई हक अधिकार नही होता है वाद सायल मोहम्मडन लॉ मे वर्णित प्रोविजन लॉ के विरूद्ध है इसलिये वाद सायल प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है सायल को प्रार्थना पत्र से सम्बधित कोई कॉज ऑफ एक्शन हासिल नही है सायल क्लीन हैण्ड से नही आया है वाद भूमि

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

सायल ने कभी काश्त नही की गई है गैरसायल न0 3 ,4 को सायल के नाना बिरबलराम को संरक्षक नियुक्त किया है जो कानुनन दादा के रहते विधि विरूद्व है मिन गैरसायल न0 1 ही उनका लालन– पालन व पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था करता रहा है इसलिये नाना को सरंक्षक कानुनी तौर से नही किया जा सकता है विधि विरूद्व पेश किया गया है खारिज फरमाया जावें।

गैरसायल न0 1 का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल एव गैरसायल की पैतृक सम्पति रोही मौजा बाच्छुसर के खसरा न0 165/1 की 0.4550 ,165/2 की 4.3890हैक कुल 4.4840हैक भूमि जिसमें मनफुल के नाम से 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि सायल के दादा भूरा की मृत्यू के बाद कर्ता खानदार होने के कारण सायल के पिता मनफुल के नाम से दर्ज हुई है जबकि मनफुल के साथ सायल व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 प्रत्येक 1/5 –1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा के जन्म से अधिकारी है जिसकी धोषणा करवाकर मनफुल के साथ दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

मनफुल का लडका पप्पु फोत हो चुका है इसकी पहली पत्नी से एक लडका नसीब है तथा दुसरी पत्नी से प्रतिवादी संख्या 3 ,4 है जो नाबालिग है पप्पु की दुसरी पत्नी पप्पु के मरने के बाद दूसरी जगह चली गई है इनके दो बच्चे नाबालिग है जो नाना के पास रहते है इसलिये इनके संरक्षक नाना है वही इनकी देखभाल करते है।

मनफुल समस्त भूमि अकेले के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए समस्त भूमि फरोख्त करने पर उतारू है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायल गैरसायल का पाबन्द करवाने का अधिकारी है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति नही है इसलिये गैरसायलान का कोई हक हिस्सा नही है गैरसायल न0 3 ,4 पप्पु की दुसरी पत्नि की सन्तान है तथा पप्पु के मरने के बाद दुसरी जगह चली गई है स्वीकार है रोही मौजा बाच्छुसर के खसरा न0 165/1 की 0.4550हैक 165/2 की 4.3890हैक कुल 44840हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा गैरसायल न0 1 की अकेले की खातेदारी भूमि है चुकि पक्षकरान व गैरसायल न0 1 मुस्लिम धर्म के है तथा मुस्लिम रीति रिवाज को मानते है मुस्लिम सम्प्रदाय से सम्बध रखते है इसलिये मुस्लिम धर्म में दादालाई भूमि में पोतों व पोतियों का कोई हक हिस्सा नही है मोहम्मडन लॉ में स्पष्ट प्रोविजन है कि मुस्लिम लॉ में पिता के जीवनकाल में पुत्र–पुत्रियों का व पोते पोतियों को कोई हक अधिकार नही होता है वाद सायल मोहम्मडन लॉ मे वर्णित प्रेविजन लॉ के विरूद्व है इसलिये वाद सायल प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है सायल को प्रार्थना पत्र से सम्बधित कोई कॉज ऑफ एक्शन हासिल नही है सायल क्लीन हैण्ड से नही आया है वाद भूमि सायल ने कभी काश्त नही की गई है गैरसायल न0 3 ,4 को सायल के नाना बिरबलराम को संरक्षक नियुक्त किया है जो कानुनन दादा के रहते विधि विरूद्व है मिन गैरसायल न0 1 ही उनका लालन– पालन व पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था करता रहा है इसलिये नाना को सरंक्षक कानुनी तौर से नही किया जा सकता है विधि विरूद्व पेश किया गया है खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि में गैरसायल किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है या नही एवं नाना सरंक्षक हो सकता है या नही प्रार्थना पत्र में तो यह तय किया जाना है कि सुविधा का सन्तुलन , प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष मे है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड रोही मौजा बाच्छुसर के खसरा न0 165/1 की 0.4550हैक 165/2 की 4.3890हैक कुल 44840हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा गैरसायल न0 1 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायल के पक्ष में पाया जाता है।

गैरसायल मनफुल पुत्र भुरा के पुत्र पप्पु पुत्र मनफुल का देहान्त हो चुका है जिसके दो पत्नीया थी पहली पत्नी के कोई सन्तान नही थी जो पप्पू को छोडकर चली गई थी दुसरी पत्नी के दो सन्तान सायल एव उसका भाई है जो नाबालिग है उक्त तथ्यों को गैरसायल न0 1 ने भी स्वीकार किंया गया है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व
नोहर

गैरसायल न0 1 का कथन है कि सायल का सरंक्षक नाना नही बन सकता है संरक्षक कोन बन सकता है यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर वाद में तय होना है एवं गैरसायल का कथन की सायल व गैरसायल मुस्लिम विधि से शासित है किन्तु सायल ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे सायल व गैरसायल न0 1 मुस्लिम विधि से शासित हो प्रार्थना पत्र के शिर्षक से मुस्लिम विधि से शासित होना प्रतित नही होता है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज है अर्थात गैरसायल न0 1 का वाद भूमि में 1/3 हिस्सा दर्ज है जो प्रस्तुत दस्तावेज से विरास्तन से प्राप्त होना पाया जाता है यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि में सायल का कोई हक हिस्सा है वर्तमान में वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से बतौर खातेदार दर्ज है जो कभी भी वाद भूमि को खूर्द बूर्द करने की सम्भावना प्रतित होती है। वाद में सायल का हक हिस्सा है या नही निर्धारण होने से पूर्व यदि वाद भूमि खूर्द बुर्द होती है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी ना की गैरसायल को अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में पाया जाता है।

इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 07.08.2019 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)